

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *336
11 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन

***336. श्रीमती सुप्रिया सुले:**

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) जैसी प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में पीएमएवाई-जी के अंतर्गत कितने आवास स्वीकृत और पूर्ण किए गए और कितने रोजगार सृजित किए गए तथा डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत कितने स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया और इस संबंध में राज्य को कितनी वित्तीय सहायता जारी की गई और उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने हेतु ऐसे जिलों की पहचान की है जिन्हें ग्रामीण आवास, आजीविका, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के लिए अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र में ग्रामीण अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आजीविका के अवसरों को बढ़ाने, स्व-सहायता समूहों को सशक्त बनाने और ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समन्वय करके जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

**ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)**

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

“ग्रामीण विकास योजनाओं का कार्यान्वयन” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या *336 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना), प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) और दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इस दिशा में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी की एक व्यापक बहु-स्तरीय एवं बहु-प्रारूपीय प्रणाली विकसित की है। प्रमुख समीक्षा तंत्रों में निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकें, राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ता (एनएलएम), क्षेत्र अधिकारी योजनाएं, सामान्य समीक्षा मिशन, मध्यावधि समीक्षा कार्यक्रम, समीक्षा बैठकें और समवर्ती मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन अध्ययन शामिल हैं।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान, दिनांक 28 और 29 जून, 2026 को, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण विकास संबंधी वरिष्ठ अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति में, महाराष्ट्र राज्य सहित प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की व्यापक समीक्षा की गई।

इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विशिष्ट समीक्षाएं भी समय-समय पर की जाती हैं और उनके निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, कार्यान्वयन में सुगमता, बेहतर लक्ष्यीकरण, प्रभावी प्रदायगी और बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ संबंधित हितधारकों द्वारा वास्तविक समय के आधार पर प्रगति और प्रभावशीलता की समवर्ती निगरानी/मूल्यांकन के लिए इन कार्यक्रमों के अंतर्गत समग्र डिजिटल समाधान भी कार्यान्वित किए गए हैं।

(ख): महाराष्ट्र राज्य में विगत तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26) के दौरान, इन कार्यक्रमों के अंतर्गत स्वीकृत एवं निर्मित आवासों, सृजित श्रम-दिवसों, गठित/सहायता प्राप्त स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और जारी की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

i. पीएमएवाई-जी

स्वीकृत आवास	पूर्ण आवास	जारी केंद्रीय निधि (रुपये करोड़ में)
27,84,062	7,87,654	11688.72

ii. मनरेगा योजना

सृजित श्रम-दिवस (करोड़ में)	सृजित परिसंपत्तियों की संख्या	जारी केंद्रीय निधि (रुपये करोड़ में)
43.4	14,07,512	14981.35

iii. डीएवाई-एनआरएलएम

सहायता प्राप्त एसएचजी	एसएचजी में संगठित परिवार (एचएच)	जारी केंद्रीय निधि (रुपये करोड़ में)
1,19,129	12,50,855	2938.52

(ग) और (घ): वीबी-जीराम-जी, पीएमएवाई-जी, डीएवाई-एनआरएलएम सहित सभी योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सक्रिय सहयोग से और निर्धारित योजनागत दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित किए जाते हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन ढांचे के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार सहित संबंधित राज्य सरकारें लाभार्थियों की पहचान करने, सड़कों सहित बुनियादी अवसंरचना और टिकाऊ परिसंपत्तियों के लिए परियोजना प्रस्ताव बनाने , रोजगार की मांग सृजित करने आदि के लिए उत्तरदायी हैं, जिसमें ग्रामीण गरीबी दूर करने और ग्रामीण जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार हेतु पहलों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रों/जिलों को प्राथमिकता देना शामिल है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत, सरकार ने रोजगार सृजन, कौशल प्रदान करने, उद्यमशीलता कार्यकलापों को प्रोत्साहित करने तथा वित्तीय सहायता एवं ऋण सुविधाओं आदि तक आसान पहुंच प्रदान करके क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु बुनियादी अवसंरचनागत सुविधाओं का विस्तार करके तथा संसाधनों के समान संवितरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहु-आयामी कार्ययोजना अपनाई है। ये उपाय सामूहिक रूप से ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना को सुदृढ़ करने, आजीविका के अवसरों का विस्तार करने, स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने और महाराष्ट्र राज्य में ग्रामीण परिवारों के समग्र जीवन स्तर में सुधार लाने में समग्र रूप से योगदान दे रहे हैं।
